प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 80/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

P.C. Kanthaliya Add. 31, Nakoda complex, Hiran Magri, Sector-4, Bali, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02/09/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329539090433256 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिनांक 26.01.2024 को सम्मानित 92 व्यक्तियों की अनुसंशा पत्र की प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5270566411 दिनांक 08.07.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/80/24/830–31 दिनांक 08.07.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर(शहर) द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक एडीएमसिटी/सू.अ. /2024/208 दिनांक 10.07.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक एडीएमसिटी/सू.अ./2024/200 दिनांक 27.06.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 208 दिनांक 10.07.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 27.06.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा सम्मानित किये गये 92 व्यक्तियों की अनुसंशा पत्र की प्रतियां चाही गई है परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अनुसंशा पत्र की प्रतियां प्रेषित नहीं कर सम्मानित किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अनुसंशा पत्र की प्रतियां प्रेषित नहीं कर सम्मानित किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिस्से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अधिनियम की भावनाओं के अनुरूप संतोष प्राप्त नहीं हुआ।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित नियमानुसार निशुल्क 21 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर) को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर